राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 1206-15 दिनांक: 25/8/26

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित परीक्षाओं में Internship Certificate Upload के संबंध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांकः परीक्षा / 2025 / 1589 दिनांक 17.11.2025, परीक्षा / 2025 / 1787 दिनांक 17.12.2025, परीक्षा / 2026 / 1727 दिनांक 27.02.2026, परीक्षा–4– अ / ब / 2026 / 1289 दिनांक 02.05.2026, परीक्षा–4 –अ / ब / 2026 / 2081–2084 दिनांक 05.06.2026, प.नि. / 2026 / 794 दिनांक 05.06.2026, परीक्षा / 2026 / 1392–96 दिनांक 08.06.2026, परीक्षा / 2026 / 183 दिनांक 27.07.2026 एवं परीक्षा / 2026 / 639 दिनांक 10.08.2026

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित स्नातक स्तर की सेमेस्टर परीक्षा–2026 के समस्त स्वयंपाठी एवं नियमित विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम एवं षष्ठं के स्वयंपाठी एवं नियमित विद्यार्थियों द्वारा जमा करवाये गये Internship Certificate को विश्वविद्यालय वेबसाईट के माध्यम से महाविद्यालय पोर्टल पर दिनांक 30.08.2026 तक आवश्यक रूप से अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि छात्रों द्वारा प्रस्तुत Internship Certificate जाली (Fake) नहीं है। अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों को जारी कर्ता संस्था / संगठन से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर सत्यापित करवाया जा सकता है। किसी संगठन / संस्था द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाते है तो परीक्षार्थी एवं महाविद्यालय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त Internship Certificate पर महाविद्यालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर होना आवश्यक है दिनांक 30.08.2026 तक Internship Certificate अपलोड नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम / अंकतालिका जारी नहीं की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र / परीक्षा फॉर्म संग्रहण केन्द्र की होगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 25/8/26

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 1206-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरू / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

25/8/26

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / दिनांक

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित परीक्षाओं में Internship Certificate Upload के संबंध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांकः परीक्षा / 2025 / 1589 दिनांक 17.11.2025, परीक्षा / 2025 / 1787 दिनांक 17.12.2025, परीक्षा / 2026 / 1727 दिनांक 27.02.2026, परीक्षा–4– अ / ब / 2026 / 1289 दिनांक 02.05.2026, परीक्षा–4 –अ / ब / 2026 / 2081–2084 दिनांक 05.06.2026, प नि / 2026 / 794 दिनांक 05.06.2026, परीक्षा / 2026 / 1392–96 दिनांक 08.06.2026 एवं परीक्षा / 2026 / 183 दिनांक 27.07.2026

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित स्नातक स्तर की सेमेस्टर परीक्षा–2026 के समस्त स्वयंपाठी एवं नियमित विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम एवं षष्ठं के स्वयंपाठी एवं नियमित विद्यार्थियों द्वारा जमा करवाये गये Internship Certificate को विश्वविद्यालय वेबसाईट के माध्यम से महाविद्यालय पोर्टल पर दिनांक 25.08.2026 तक आवश्यक रूप से अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि छात्रों द्वारा प्रस्तुत Internship Certificate जाली (Fake) नहीं है। अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों को जारी कर्ता संस्था / संगठन से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर सत्यापित करवाया जा सकता है। किसी संगठन / संस्था द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाते हैं तो परीक्षार्थी एवं महाविद्यालय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त Internship Certificate पर महाविद्यालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर होना आवश्यक है। Internship Certificate अपलोड नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम / अंकतालिका जारी नहीं की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र / परीक्षा फॉर्म संग्रहण केन्द्र की होगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Sd/–
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 640–641 दिनांक 10.8.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरू / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : प.नि./2026/ 584 दिनांक : 6/8/26

प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय सम्बद्ध (राजकीय एवं निजी महाविद्यालय),
जयपुर/दौसा।

विषय :- विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक कुछ परीक्षकों द्वारा सैद्धान्तिक उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत आयोजित होने वाली परीक्षाओं में निर्धारित समयावधि में परीक्षा परिणाम जारी किया जाना अति-आवश्यक है। कुछ परीक्षकों की लापरवाही एवं अनावश्यक विलम्ब के कारण शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता है।

अतः समस्त प्राचार्य/प्राचार्या से निवेदन है कि अपने महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के दौरान प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन कराने में सहयोग प्रदान करावें। साथ ही अपने महाविद्यालय के संबंधित शिक्षकों को निर्धारित समयावधि में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षाओं संबंधी कार्य पूर्ण गम्भीरता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश प्रदान करें। परीक्षा कार्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी अथवा लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। यदि किसी शिक्षक को अपरिहार्य कारणवश निर्धारित समय पर कार्य करने में कठिनाई हो तो, वे पूर्वानुमति प्राप्त कर आवश्यक सूचना कार्यालय को प्रेषित करें।

विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य में अनावश्यक विलम्ब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

भवदीया,

-sd-
कुलसचिव

क्रमांक : प.नि./2026/ 585-590 दिनांक : 6/8/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ प्राचार्य/प्राचार्या को विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
2. निजी सचिव कुलगुरु/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

06.08.26
परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा/2026/ दिनांक:

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित परीक्षाओं में Internship Certificate Upload के संबंध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांकः परीक्षा/2025/1589 दिनांक 17.11.2025, परीक्षा/2025/1787 दिनांक 17.12.2025, परीक्षा/ 2026/1727 दिनांक 27.02.2026, परीक्षा–4– अ/ब/2026/1289 दिनांक 02.05.2026, परीक्षा–4 –अ/ब/2026/2081–2084 दिनांक 05.06.2026, प.नि./2026/794 दिनांक 05.06.2026 एवं परीक्षा/2026/1392–96 दिनांक 08.06.2026

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित स्नातक स्तर की सेमेस्टर परीक्षा–2026 के समस्त स्वयंपाठी एवं नियमित विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम एवं षष्ठम के स्वयंपाठी एवं नियमित विद्यार्थियों द्वारा जमा करवाये गये Internship Certificate को विश्वविद्यालय वेबसाईट के माध्यम से महाविद्यालय पोर्टल पर दिनांक 10.08.2026 तक आवश्यक रूप से अपलोड़ करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त Internship Certificate पर महाविद्यालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर होना आवश्यक है। Internship Certificate अपलोड़ नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम/अंकतालिका जारी नहीं की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा फॉर्म संग्रहण केन्द्र की होगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Sd/–
परीक्षा नियंत्रक
दिनांक: 27.7.2026

क्रमांक : परीक्षा/2026/184–188
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरू/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

27/7/26
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा/2025/1589 दिनांक : 17.11.2025

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं की स्कीम एवं दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को प्रक्रियानुसार दो एन.ई.पी. काउन्सलर नियुक्त करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी होने वाले दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट तथा महाविद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा एन.ई.पी. नोटिफिकेशन–35 भी जारी किया जा चुका है।

महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को सही एवं उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण विश्वविद्यालय में अनावश्यक भीड़ होती है जिसकी वजह से कार्यालय कार्य प्रभावित होता है। अतः सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में नियुक्त दो एन.ई.पी. काउन्सलर के नाम, कमरा नम्बर, मोबाईल नम्बर तथा उनसे मिलने के समय के सम्बन्ध में समस्त जानकारी महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही यदि किसी काउन्सलर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं एवं स्कीम के सम्बन्ध में कोई जानकारी आवश्यक है तो वे स्वयं व्यक्तिशः विश्वविद्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नहीं भेजें, अन्यथा संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,
17.11.25
परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा/2025/1787 दिनांक : 17-12-2025

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :- इन्टर्नशिप प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने बाबत।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अन्तर्गत त्रिवर्षीय/चतुर्थवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय अधिसूचना (Notification) संख्या-35 (O.199 G20) के पृष्ठ संख्या 22 से 28 में वर्णित प्रक्रियानुसार नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान इन्टर्नशिप निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः आप नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थियों की समय रहते उक्त अध्यादेश में वर्णित प्रावधान के अनुसार इन्टर्नशिप प्रक्रिया को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस हेतु अपने स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।

17.12.25
परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा/2026/1437 दिनांक 27.2.2026

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/
परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत Internship के आयोजन के संबंध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांकः परीक्षा/2025/1589 दिनांक 17.11.2025 एवं क्रमांकः परीक्षा/2025/1787 दिनांक 17.12.2025

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू की जा चुकी है। इस नीति के तहत स्वयंपाठी एवं नियमित (Non-Collegiate & Regular) विद्यार्थियों को स्नातक सेमेस्टर उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है। Internship की प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु आपके महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम् एवं सेमेस्टर षष्ठम् के नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों को दिनांक 31.05.2026 तक Internship पूर्ण करना आवश्यक है। आपके केन्द्र पर जिन स्वयंपाठी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाया गया है। उनका प्रक्रियानुसार Internship हेतु पंजीकरण कर Internship करने के लिए संबंधित संस्था/केन्द्र आवंटित करें। Internship की अवधि 120 घंटे निर्धारित है में Internship पूर्ण कर सकते हैं। जिसका प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों सहित आपके महाविद्यालय/केन्द्र पर जमा होगा तथा जिसे महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित होने वाली Internship की प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन–35 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

भवदीय

27.02.26

परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक– परीक्षा 4–अ/ब/2026/ 1289 दिनांक: 23/5/26

परिपत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत् राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–38 एवं 38 में इंटर्नशिप के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें इंटर्नशिप हेतु निर्धारित समयावधि यथा किस वर्ष तथा किन संस्थाओं एवं सम्बन्धित संस्थाओं में विद्यार्थियों को किस आधार पर पंजीकृत होना है। साथ ही इंटर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् किस प्रकार से अपना इंटर्नशिप प्रमाण–पत्र जमा/पंजीकृत करवाना है, इस हेतु गठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटर्नशिप की बैठक दिनांक 04.04.2026 की अनुशंषानुसार इंटर्नशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं क्षेत्र निम्नानुसार है :–

इंटर्नशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया :

1- सर्वप्रथम नियमित विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र जमा केन्द्र में अधिसूचना संख्या 38 अध्यादेश–199G20 के तहत् निर्धारित संरचना के अन्तर्गत नियुक्त NEP नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक/संरक्षक से सम्पर्क करना है। नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक/संरक्षक द्वारा दी जाने वाली इंटर्नशिप सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना अनुसार इंटर्नशिप हेतु निर्धारित आवेदन पत्र (Appendix-I) के माध्यम से आवेदन करना होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (Appendix-II) अनुसार इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था को Letter of Recommendation जारी करना होगा।

2. इंटर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था से प्रमाण–पत्र (Appendix-III) प्राप्त कर पुनः सम्बन्धित महाविद्यालय में नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक/संरक्षक से सम्पर्क कर प्रमाण–पत्र जमा करवाना होगा।

3. इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था द्वारा प्रमाण–पत्र पर सम्बन्धित विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, प्रोग्राम/कोर्स का नाम, अनुक्रमांक, इंटर्नशिप कोर्स का नाम, QR Code (Active/not static) एवं अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य सम्मिलित करना होगा, जिससे जारी प्रमाण–पत्र को सम्बन्धित इंटर्नशिप संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर QR Code Link के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकेगा।

4. प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर महाविद्यालय द्वारा अध्यादेश–199G20 के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। साथ ही Online/Hybrid Mode पर आधारित इंटर्नशिप में महाविद्यालय/केन्द्र सम्बन्धित विद्यार्थी को जारी एल.ओ.आर के माध्यम से विद्यार्थी की Logbook & Presentation report पर्यवेक्षक/संरक्षक द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

5. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय से प्रमाण–पत्र/उपाधि पूर्ण एवं प्राप्त करने के लिये 04 क्रेडिट हेतु प्रोग्राम के निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किसी भी वर्ष/सेमेस्टर में इंटर्नशिप किया जा सकता है, जिसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा संबंधित Website/Portal पर नोडल अधिकारी द्वारा Upload किया जायेगा।

इंटर्नशिप हेतु निर्धारित क्षेत्र :

1. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं से एम.ओ.यू. किया हुआ है जिनसे विद्यार्थी इंटर्नशिप कर सकते हैं। विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं के मध्य हुए Memorandum of Understanding (MoU) की सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय योजना एवं परियोजना अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.35–325/पीपी/2026/1526 दिनांक 08–04–2026 के तहत् इंटर्नशिप हेतु NASSCOM, RCAT, RKCL एवं Skill India (Government of India) जैसी संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। (Appendix-IV)

2. विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के उपक्रम/राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं (जैसे स्कूल, पंचायत, आई.टी.आई., फार्मेसी इत्यादि संस्था एवं राजकीय कार्यालयों) से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है।

3. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को इंटर्नशिप हेतु राजकीय नियमों के तहत् स्थापित एवं पंजीकृत एन.जी.ओं (NGO) को भी अधिकृत किया जा सकता है, जिसकी पूर्व अनुमति इंटर्नशिप बोर्ड द्वारा लिया जाना आवश्यक होगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

4. विद्यार्थी बिन्दु संख्या–01 से 03 पर सन्दर्भित संस्थाओं का अवलोकन कर अपनी सुविधानुसार एवं पंजीकृत संस्थाओं द्वारा निर्धारित इंटर्नशिप शुल्क का अवलोकन कर अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये स्वविवेक से चयन करनें हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र को सूचित किया जाता है कि इंटर्नशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं क्षेत्रों से सभी विद्यार्थियों को सूचित/जागरूक करवाने का श्रम करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd/-
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 02/5/26

क्रमांक– परीक्षा 4–अ/ब/2026/ 1290–96

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलगुरु/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों के पोर्टल पर मुख्य रूप में प्रदर्शित करने का श्रम करें।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा 4–अ/ब)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
Phone no. 2708824, PBX No. 2711070 Fax no. 91.0141.2701367
वेब साइट - www.uniraj.ac.in (CE office)

क्रमांक– प.नि./2026/794 दिनांक: 5.6.2026

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के इंटर्नशिप के संबंध में।

●ोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों को पंचम् एवं षष्ठम् सेमेस्टर में 120 घंटे की इंटर्नशिप की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। इंटर्नशिप का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल एवं रोजगारोन्मुखी दक्षताओं को विकसित करना है। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 35, 38, परिपत्र संख्या– परीक्षा 4–अ/ब/2026/1289 दिनांक 02.05.2026 एवं परीक्षा 4–अ/ब/2026/2080 दिनांक 05.06.2026 का पूर्ण अवलोकन कर निर्धारित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को जिन संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु भेजा जा रहा है, उसकी प्रमाणिकता महाविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के मद्देनजर रखते हुए सुनिश्चित करना आवश्यक है। इंटर्नशिप को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा निर्धारित नियमों का●ालन किए बिना फर्जी इंटर्नशिप प्रमाण–पत्र जारी करने पर महाविद्यालय/इंटर्नशिप जारीकर्ता संस्था/संबंधित विद्यार्थी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

05.06.26
परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक– परीक्षा 4–अ/ब/2026/ दिनांक:

परिपत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत् राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–35, 38 एवं समिति की पूर्व बैठक दिनांक 04.04.2026 की अनुशंसानुसार जारी परिपत्र क्रमांक परीक्षा 4–अ/ब/2026/1289 दिनांक 02.05.2026 के तहत् इंटर्नशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं क्षेत्र में महाविद्यालयों को आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटर्नशिप की दिनांक 18.05.2026 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार समस्याओं को निम्नानुसार निस्तारित करने हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है :–

1. इंटर्नशिप प्रमाण–पत्र पर क्यू.आर. कोड की बाध्यता को वर्तमान सत्र 2025–26 के लिये अनिवार्य नहीं मानते हुये आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–27 से अनिवार्य किया जाता है। राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी इंटर्नशिप प्रमाण–पत्र पर क्यू.आर. कोड की बाध्यता नहीं होगी।
2. इंटर्नशिप हेतु जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2026 से पूर्व जिन विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित इंटर्नशिप पूर्ण कर ली गई है एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उन्हें सत्र 2025–26 के लिए मान्य किया जाता है। परिपत्र जारी दिनांक 02.05.2026 के पश्चात् परिपत्र में उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया यथावत लागू रहेगी।
3. महाविद्यालय में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत इंटर्नशिप प्रमाण–पत्र को महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल पर अपलोड़ करने हेतु जमा किया जायेगा जिसकी प्रमाणित प्रति सुरक्षित रखते हुए मूल प्रमाण–पत्र विद्यार्थी को वापस करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र/परीक्षा केन्द्र को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित/जागरूक करवाने का श्रम करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd –
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक– परीक्षा 4–अ/ब/2026/2081-2084 दिनांक: 5.6.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र/परीक्षा केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलगुरु/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों के पोर्टल पर मुख्य रूप में प्रदर्शित करने का श्रम करें।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा 4–अ/ब)

२७

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा/2026/ दिनांक:

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः— राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत Internship के आयोजन के संबंध में।

संदर्भः— पत्र क्रमांकः परीक्षा/2025/1589 दिनांक 17.11.2025, परीक्षा/2025/1787 दिनांक 17.12.2025, परीक्षा/ 2026/1727 दिनांक 27.02.2026, परीक्षा–4– अ/ब/2026/1289 दिनांक 02.05.2026 एवं परीक्षा–4 –अ/ब/2026/2081–2084 दिनांक 05.06.2026

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू की जा चुकी है। इस नीति के तहत स्वयंपाठी एवं नियमित (Non-Collegiate & Regular) विद्यार्थियों को स्नातक सेमेस्टर उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है। Internship की प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु आपके महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम् एवं षष्ठम् के नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों को दिनांक 30.06.2026 तक Internship पूर्ण करना आवश्यक है। आपके केन्द्र पर जिन स्वयंपाठी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाया गया है। उनका प्रक्रियानुसार Internship हेतु पंजीकरण कर Internship करने के लिए संबंधित संस्था/केन्द्र आवंटित करें। Internship की अवधि 120 घंटे निर्धारित है। जिसका प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों सहित आपके महाविद्यालय/केन्द्र पर जमा होगा तथा जिसे महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित होने वाली Internship की प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन–35 एवं 38 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Sd —
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा/2026/1392–96 दिनांक: 08.6.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरू/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

8/6/26
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)